

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 4.4.14-
संख्या-12/प0-(मू0को0) 4023/11-सा0प्र0- 4633/बिहार राज्य के सभी जिलों में वरीय
उप समाहर्ता के पद पर पदस्थापित पदाधिकारियों को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट
2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित जिला क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की
शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । साथ ही उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट
2, 1974) की धारा 144 का प्रयोग करने हेतु भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Bandy
(वीरेन्द्र प्रसाद यादव)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-12/प0-(मू0को0) 4023/11-सा0प्र0- 4633 /पटना, दिनांक- 4.4.14-

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में
प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार,
पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह प्रधान सचिव, निर्वाचन
विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडल
पदाधिकारी/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, सामान्य
प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित
पदाधिकारी/प्रशाखा-2 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Bandy
सरकार के अपर सचिव